भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4443
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

तमिलनाडु में सामान्य सेवा केंद्र

4443. श्री मलैयारासन डी.:

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में राज्यवार, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में, ज़िला-वार कितने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कार्यरत हैं;
(ख) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही सरकारी और निजी सेवाओं का दायरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में सुलभता, सेवा की गुणवत्ता और सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल साक्षरता संबंधी सहायता का कोई मूल्यांकन किया है;
(घ) सरकार द्वारा सीएससी की अवसंरचना को मजबूत करने, नागरिक जागरूकता बढ़ाने और सीएससी चलाने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में सीएससी को पूरी तरह कार्यात्मक और डिजिटल रूप से सुसज्जित बनाने के लिए किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए पूरे देश में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु सहित, कार्यरत सीएससी का राज्य और ज़िलावार विवरण वेबसाइट https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है ।

सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गवर्मेंट टू सिटीजन (जी2सी) और बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) सेवाएँ शामिल हैं। सेवाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024 में तमिलनाडु सहित 28 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में "सीएससी 2.0: ए वे फॉरवर्ड" परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन किया गया।

सरकार द्वारा आत्मनिर्भर और उद्यमिता मॉडल पर सीएससी 2.0 परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है और यह 31.03.2024 तक पूरी हो चुकी है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, सीएससी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार, सीएससी की अवसंरचना को सुदृढ़ करने, नागरिक जागरूकता बढ़ाने और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए नियमित कदम उठाती है। इनमें शामिल हैं:

- दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में गहन पैठ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सेवा विविधीकरण।
- सीएससी को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- वीएलई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) तमिलनाडु के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में स्थित सीएससी सहित सभी सीएससी की कार्यप्रणाली की निगरानी करता है। इन उपायों में शामिल हैं:

- डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी के लिए सीएससी को सक्षम बनाना।
- ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सीएससी एसपीवी की केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरीय टीमों के माध्यम से वीएलई को सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है। सीएससी एसपीवी की राज्य और जिला टीमों द्वारा लेनदेन डेटा और आवधिक क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से सीएससी की कार्यक्षमता की निरंतर निगरानी की जाती है।

*****

अनुबंध

क्र. सं.	विषयवस्तु	क्र. सं.	विषयवस्तु
1	***आधार सेवाएँ***	***5***	***शैक्षणिक सेवाएं***
1.1	आधार सेवाएँ – आधार का निर्माण	5.1	शिक्षा सेवाएँ – डिजिटल साक्षरता
1.2	आधार सेवाएँ – ई-केवाईसी और प्रमाणीकरण	5.2	नाइलिट और एनआईओएस के विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इग्नू, आईआईटी, निजी विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रम
1.3	आधार सेवाएँ - आधार मुद्रण	5.3	सीएससी अकादमी के विभिन्न पाठ्यक्रम
1.4	आधार अपडेट (यूसीएल)	***6***	***कानूनी सेवाएं***
2	***केंद्रीय जी2सी सेवाएँ – प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं***	6.1	टेली-लॉ परामर्श सेवाएँ
2.1	आयुष्मान भारत योजना	6.2	ई-कोर्ट सेवाएं
2.2	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	***7***	***वित्तीय समावेशन सेवाएँ***
2.3	पीएम - उज्ज्वला योजना (एलपीजी बुकिंग)	7.1	वित्तीय समावेशन – बैंकिंग सेवाएँ
2.4	पीएम - श्रम योगी मान- धन योजना	7.2	वित्तीय समावेशन - डिजीपे (एईपीएस)
2.5	प्रधानमंत्री किसान मान- धन योजना	7.3	वित्तीय समावेशन - बीमा सेवाएँ
2.6	पीएम- किसान सम्मान निधि योजना	7.4	वित्तीय समावेशन – एनपीएस और एपीवाई
2.7	पीएम - व्यापारी पेंशन योजना	7.5	वित्तीय समावेशन – सिबील पंजीकरण
2.8	प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना	7.8	भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)
2.9	पीएम - एसवीए निधि योजना	***8***	***पर्यटन और यात्राएँ***
3	***अन्य केंद्रीय जी2सी सेवाएँ***	8.1	टूर्स एंड ट्रैवल्स – आईआरसीटीसी सेवाएँ
3.1	चुनाव आयोग सेवाएँ	8.2	टूर्स एंड ट्रैवल्स – अन्य सेवाएँ
3.2	पासपोर्ट आवेदन	9	***स्वास्थ्य सेवाएं***
3.3	पैन आवेदन	9.1	स्वास्थ्य सेवाएँ – टेली-मेडिसिन
3.4	ई-श्रम पंजीकरण	9.2	स्वास्थ्य सेवा सेवाएँ - दवा बिक्री
3.5	जीवन प्रमाण	9.3	स्वास्थ्य सेवाएँ – स्त्रीस्वाभिमान
3.6	उद्यम ज्योति परिचय	10	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेवाएं
3.7	सीएससी के माध्यम से भर्ती आवेदन	10.1	ग्रामीण ई-स्टोर
4	***राज्य जी2सी सेवाएँ***	10.2	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
4.1	ई-जिला सेवाएं	10.3	ई-किसान/इफको बाजार
4.2	पीडीएस सेवाएं	***11***	***अन्य बी2सी/ बी2बी सेवाएँ***
4.3	श्रम पंजीकरण सेवाएँ	11.1	अन्य सेवाएँ – मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज
4.4	ई-स्टैम्प	11.2	अन्य सेवाएँ – आईटी रिटर्न फाइलिंग
4.5	ई-वाहन - सारथी परिवहन सेवाएँ	11.3	अन्य सेवाएँ – डिजीनाम
4.6	हिमाचल स्वास्थ्य बीमा योजना (हिमकेयर)	11.4	अन्य सेवाएँ – फास्टैग बिक्री
4.7	अन्य राज्य जी2सी सेवाएँ - भर्ती सेवाएँ	11.5	अन्य सेवाएँ – फास्टैग रिचार्ज
4.8	अन्य राज्य जी2सी सेवाएँ - नगरपालिका सेवाएँ	***12***	***कौशल विकास***
4.9	अन्य राज्य जी2सी सेवाएँ - स्वास्थ्य बीमा	12.1	कौशल विकास: योजनाएँ और पाठ्यक्रम
4.10	अन्य राज्य जी2सी सेवाएँ - फसल बीमा योजना	12.2	कौशल विकास – जॉब पोर्टल
4.11	बिजली बिल भुगतान		
4.12	जल उपयोग बिल भुगतान		

स्रोत: *सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड*

****